

आर टी आई स्पीड पोस्ट
अवर सचिव
UNDER SECRETARY

R- 92/Dir(A&V)/13

01/04



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/2/2013-14

03 अप्रैल, 2013

श्रीमती श्यामला मोहन
निदेशक/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

2399/RTI/2013
12/4/13

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदया,

संलग्न पत्र श्री सुरेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र श्री विदिशी विश्वकर्मा, r/o जयसिंहपुर खुर्द, थाना जयसिंहपुर, पो. महमूदपुर सेमरी, जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का दिनांक 29 मार्च 2013 का पत्र दिनांक 2 अप्रैल 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने रूपये दस का पो.आ. संख्या 08F 243728 संलग्न कर सरकारी कानून व्यवस्था एवं प्रशासन पर कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र का विषय गृह मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित है। अतः इनका पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्रवाई से आवेदक को सूचित करने का कष्ट करें तथा अधोहस्ताक्षरी को भी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Dir(A&V) - on leave
USC (RTI)

11/4/13
US (RTI)

12/4/13
S-(ARTI)

Return to VP's for
Information and
Views of this
Authority

21.2.13

सेवा में

माननीय उपराष्ट्रपति महोदय
भारत, दिल्ली

विषय - प्रार्थना पत्र बाबत सूचना माने वाले अन्तर्गत धारा 617
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 तथा धारा 35D भारतीय संविधान
शब्दांश महोदय प्रश्न निम्नलिखित हैं-



प्रश्न 1 मह कि इस बात का कोई ठोस साक्ष्य आमके मास कभों नहीं है कि भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी थानों के थानाध्यक्षों, भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी सर्किलों के सी.ओ., भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी जिलों के मुखिस अधीक्षक अपने थाने/आफिस में शिकायतकर्ता/मीडित व्यक्ति के साथ मिलकर तरीके से येश आते हैं, सम्मान के साथ येश आते हैं उन्हें मारते मीटते नहीं हैं उन्हें गाली नहीं देते हैं उनसे रिश्त नही लेते हैं उनकी पूरी बातें सुनते हैं उन्हें डांटते फटकारते नहीं हैं थानाध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को न्याय देने की बात करके थाने में बुलाकर अनावश्यक 151 Cr.P.C. में चोखान तो नहीं करता है थानाध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के आदेश के बगैर 24 घंटे से अधिक थाने मर नहीं शेकता है कभों कि थाने की सारी खिय मदी (G.P) सब थानाध्यक्ष द्वारा व उसके मार्गदर्शन में होती है तथा साथ ही साथ सभी अधिकारियों के आफिसों की खिया मदी उन्ही के मार्गदर्शन में होती है न कि बीडियो रिकार्डिंग स्वचासित बीडियो रिकार्डर द्वारा की जाती है न ही प्रत्येक दिन की दिन भर की कार्यवाही का प्रसारण टेलीविजन मर किया जाता है, न ही जनता द्वारा अधिकारियों के सी.मु.जी नंबर मर की गभी बात नीत की रिकार्डिंग स्वचासित व्यवस्था द्वारा की जाती है न ही भारत के सभी विभागों के लिए भारतीय मारतरीता कानून है ?

अर्थात् योते समय
प्रश्न 2, मह कि निम्नलिखित के समय (नौकरी जवाहन करते समय) भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी थानों के थानाध्यक्षों, भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी सर्किलों के सी.ओ., भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी जिलों के मुखिस अधीक्षकों व उनके माता, पिता, बीबी, बच्चों के मास कुल जितनी चस-अचस सम्पत्ति थी, आज दिनांक 26.01.13 को कुल जितनी चस-अचस सम्पत्ति है, आज दिनांक 26.01.13 को बचत के हिसाब से कुल जितनी चस-अचस सम्पत्ति होनी चाहिए उसका ठौरा हमें कभों न दिया जाय साथ ही साथ जिसकी सम्पत्ति आय से अधिक मारी जाती है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही विभिन्न विधियों के तहत कभों न की जाय ?

Surendra
Yishwarkumar

प्रश्न 3. यह कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था लेकिन आज तक भारत देश के सभी प्रान्तों के सभी ग्रामों व पुलिस कार्यालयों में पीडियो रिकार्डर नहीं लगाया गया न ही अधिकारियों के सी. प्र. जी. नंबरों पर की गयी बातचीत की रिकार्डिंग रखी जाती है. न ही प्रत्येक दिन भारत देश के सभी ग्रामों में व पुलिस अधीक्षक लोक शिकायत प्रकोष्ठ में की गयी कार्यवाही का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर किया जाता है। भारत देश के प्रत्येक ग्रामों, सर्किलों व पुलिस कार्यालयों में तत्काल स्वचालित पीडियो रिकार्डर कर्मों न लगाया जाय तथा अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दिन 24 घंटे तक की गयी कार्यवाही का टेलीविजन पर प्रसारण कर्मों न किया जाय ?

प्रश्न 4. यह कि भारत देश के प्रत्येक प्रान्तों के सभी ग्रामाहमणों व सी. डी. तथा पुलिस अधीक्षकों व उनके माता, पिता, बीबी बच्चों के सभी बैंक खातों की प्रत्येक माह जाँच कर्मों न किया जाय ?

प्रश्न 5. यह कि भारत के प्रत्येक ग्रामाहमणों व पुलिस अधीक्षकों का वेतन यदि भ्रम की अपेक्षा कम है तो इसके विषय में तत्काल उचित कार्यवाही कर्मों न की जाय ?

माननीय अंतराहमण महोदय आभसे निवेदन है

कि जबाल 30 दिन के भीतर देने की कृपा करें। 30 दिन के बाद प्रथम क्षमिष (धारा 19) / शिकायत (धारा 18(i)) की अपेगी।

संलग्नक

भारतीय पोस्टल ऑडिटर
10 रुममा

संख्या 08F 243728

आवेदक

Surendra Vishwakarma
s/o Videshi Vishwakarma

R/o Jaisinghpur Khurd

PS Jaisinghpur

Post - Mahmoodpur Samari

Dist. - Sultanpur (UP)

Pin - 228142

M.N. - 09532699410

Date - 29.03.13

